राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 29/2014

नरेश कुमार पुत्र श्री पूरणमल जाति बैरागी निवासी मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांक: 21.07.2014 निर्णय दिनांक : 04.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 203 की साबिक खसरा नं0 443 रकबा 1 बीघा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। जो वर्तमान में इन्तकाल नं0 464 से बतौर खातेदार कृषक दर्ज हुई है। उक्त भूमि उपनिवेशन विभाग आवंटन योजना के तहत 443 की रकबा 1 बीघा भूमि 24.06.1981 को नियमन रामबिलास पुत्री श्री कृष्ण जाति बैरागी निवासी शाहपुरा को नियमन आवंटन हुई थी जो परगना अधिकारी उपनिवेशन बारां द्वारा दिनांक 28.06.1981 को सनद जारी कर उसी के मुताबिक दखल दिया गया था तभी से रामबिलास पुत्र श्री किशन जाति बैरागी उक्त भूमि पर मुताबिक नक्शा ट्रेस में 443 को नजरी नक्शे में सडक के उत्तरी पश्चिमी और दर्शाया गया है। उक्त भूमि का साबिक खसरा नं0 443 रकबा 1 बीघा का सेटलमेंट विभाग द्वारा हाल नंबर 443 मिन का 610 की 0.99 तथा 611 की 0.13 तथा 608 की 0.02 है0 कायम किये गये उसी के अनुसार नजरी नक्शे मे हाल राजस्व रेकार्ड हाल नक्शे में दर्ज होनी चाहिए। अतः निवदेन है कि हाल राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाकर साबिक नक्शा ट्रेस 443 रकबा 1 बीघा के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाकर खसरा नं0 608 की 0.02 को 443 किया जाकर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार साबिक खसरा नं0 443 की दक्षिणी और की भूमि 0.11 है0 में से जो साबिक खसरा नं0 443 के नक्शा ट्रेस में नीचे की ओर सडक की तरफ, दक्षिणी तरफ, की 0.03 है0 भूमि नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर तथा शेष भूमि हाल खसरा नं0 610 की 0.99 में 0.11 है0 भूमि दुरूस्त की जाकर मुताबिक साबिक खसरा नं0 443 रकबा 0.16 के मुताबिक हाल खसरा नं0 608 की 0.02 हे0, 611 की 0.03 है0 610

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

की 0.11 है0 प्रार्थी के नाम दुरूस्त की जाकर उसी प्रकार से हाल नक्शा ट्रेस में पुराने नक्शा ट्रेस के मुताबिक करने के आदेश प्रतिवादी कम नं0 1 को दिये जाये।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार मांगरोल से जॉच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट पत्रांकः भू.अ. /2017/3 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा भेजी जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम शाहपुरा की आराजी खसरा नं0 610/914 रकबा 0.16 है0 का गत नक्शा अनुसार दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया है। प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नं0 608 व 611 में से भूमि चाही जा रही है उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजीव गांधी सेवा केन्द्र उपस्वास्थ केन्द्र व गै0 मु0 रास्ता के नाम दर्ज है। जो दिया जाना संभव नही है। अतः प्रकरण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी द्वारा हाल खसरा नं0 608 व 611 में से भूमि चाही जा रही है उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजीव गांधी सेवा केन्द्र उपस्वास्थ केन्द्र व गै0 मु0 रास्ता के नाम दर्ज है। जो दिया जाना संभव नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असफल रहा है। प्रार्थी की आराजी में कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प शाहपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल